

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरौही

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

दलवीरसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपूत बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 53/2024

—:आदेश:—

दिनांक 22.12.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा छीबागांव पटवार हल्का छीबागांव भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उथमण तहसील शिवगंज में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं० 163, 164, 165, 432, 488, 489, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504 कुल किता 17 कुल रकबा 12.4805 हैक्टर है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त कृषि आराजी का उत्तराधिकार नामांतरकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तो प्रार्थी का गलत नाम दलपतसिंह पुत्र हीरसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दलवीरसिंह पुत्र हीरसिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम इंद्राज हो जाने के कारण प्रार्थी को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड वगैरह में प्रार्थी का नाम दलवीरसिंह पुत्र हीरसिंह ही दर्ज है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 22.12.2024 को जवाब पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी का विरासत का नामांतरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी दलवीरसिंह पुत्र हीरसिंह के बजाय दलपतसिंह पुत्र हीरसिंह दर्ज किया हुआ है। मौका फर्द व सह खातेदारों के बयान अनुसार दलपतसिंह व दलवीरसिंह एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रकरण के संबंध में उभय पक्ष की दिनांक 22.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश दलपतसिंह इंद्राज हो गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, इत्यादि में सही नाम दलवीरसिंह पुत्र हीरसिंह ही दर्ज है।

पत्रावली आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीनामा से तहसीलदार शिवगंज द्वारा नाम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अदालत में आपसी राजीनामा, दस्तोवजी साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज की जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा छीबागांव पटवार हल्का छीबागांव भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उथमण तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 163, 164, 165, 432, 488, 489, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504 कुल किता 17 कुल रकबा 12.4805 हैक्टर में दर्ज नाम दलपतसिंह पुत्र हीरसिंह के स्थान पर "दलवीरसिंह पुत्र हीरसिंह" नाम दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2024 को रा० लोक अदालत केम्प शिवगंज में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक:—कोर्ट/2024/657

प्रतिलिपि पालनार्थ:—
तहसीलदार शिवगंज ।

(नीरज मिश्र R.A.S)
लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.टी.ओ.)
शिवगंज (सिरौही)
दिनांक 22-12-2024

लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.टी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)